राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

वाद संख्या—11/2020 दायर दिनांकः— 24.12.2020

पीठासीन अधिकारीः—श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. रामकरण पुत्र स्व0 हरजी ।
2. रामदेव पुत्र स्व0 हरजी।
3. धन्नी पुत्री स्व0 हरजी।
4. कमला देवी पुत्री स्व0 हरजी।
5. घीसी देवी पुत्री स्व0 हरजी।
6. सीता पुत्री स्व0 हरजी।
7. नोसर देवी पत्नि स्व0 माधू।
8. सुरेश स्व0 माधू।
9. मनोहर देवी पुत्री स्व0 माधू।
10. सीता पुत्री स्व0 माधू।
    सर्व जाति जाट निवासी ग्राम नल्यां की ढाणी, नवां, तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान।
11. रामप्यारी पुत्री स्व0 जेठी देवी।
12. रामजीवण पुत्र स्व0 जेठी देवी।
13. रामगोपाल पुत्र स्व0 जेठी देवी।
    सर्व जाति जाट निवासी ग्राम छोटी ढाणी (रामनेर ढाणी), तहसील अजमेर जिला अजमेर राजस्थान।
14. मनफूल देवी पुत्री स्व0 सुगनी देवी, जाति जाट, निवासी ग्राम गोदारा की ढाणी, सींगला, तहसील रुपनगढ, अजमेर।

.......अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत नवां, पंचायत समिति किशनगढ़, जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत नवां, अजमेर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान।

........रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांकः—24.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स के द्वारा ग्राम नवां हल्का नवां भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र थल तहसील रुपनगढ जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि के खाता संख्या नया 138 के खसरा संख्या 506 रकबा 0.0404 है0 गै0 मु0 चाह [illegible] 89 है0 जिसमें अपीलान्ट्स के पूर्वज हरजी पुत्र भूरा हि0 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार [illegible] अपीलान्ट्स के पूर्वज हरजी पुत्र भूरा का स्वर्गवास दिनांक 07.01.2019 को हो चुका [illegible] खातेदार हरजी पुत्र भूरा के वारिसान में उनकी पत्नि नानूड़ी का स्वर्गवास हो चुका है तथा [illegible] सुगनी [illegible] पुत्र माधू का स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिसान का [illegible] पत्र में दिया गया है [illegible] मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा प्रमाण पत्र अपील के साथ संलग्न है। अपीलान्ट्स के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.04.05 16:33:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

पेश कर अपने पूर्वजों की उपरोक्त वर्णित आराजी का उनके वारिसान के नाम विरासत का नामान्तरण खुलवाने हेतु पेश किया। हल्का पटवारी द्वारा दिनांक–19.02.2020 को विरासत का नामान्तरण संख्या 1024 भरकर गिरदावर हल्का के समक्ष पेश किया जिस पर गिरदावर हल्का द्वारा दिनांक–19.02.2020 को जांच की अकन सही है। पटवारी से पुनः जांच करवायी तब वारिसों के और होने की जानकारी मिलने परिवार वालो द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा कहने के बाद भी उपलब्ध नही कराने से नामान्तरण खारिज योग्य है कि रिपोर्ट पेश की। तत्पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष दिनांक–20.02.2020 को मजमे आम में पेश किया तब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 20.02.2020 के प्रस्ताव संख्या 9 द्वारा नामान्तरण अस्वीकार करके आदेश पारित किया जो कि विधि विरुद्ध एवं जान बुझकर बिना अवलोकन किये पारित किया गया है जो कि गलत है। उक्त विरासत नामान्तरण में अपीलान्ट्स द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा नामान्तरण खोला जाना चाहिए था। इस अस्वीकृत नामान्तरण आदेश से व्यथित होकर यह अपील अपीलान्ट्स द्वारा पेश की जा रही है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा नामान्तरण संख्या 1024 दिनांक–19.02.2020 को ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 9 दिनांक–20.02.2020 द्वारा अस्वीकार करके पारित आदेश न्याय, नियम व रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स ने अपील में वर्णित कृषि भूमि के खाता संख्या 138 के खसरा नम्बर 506 व 507 में मृतक खातेदार हरजी पुत्र भूरा के हिस्सा 1/2 की विरासत अपीलान्ट्स के नाम से उक्त नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के अधीनस्थ कर्मचारी, पटवारी व गिरदावर हल्का द्वारा भरना चाहिए था परन्तु पटवार हल्का व गिरदावर हल्का के द्वारा अपीलान्ट्स के पूर्वज मृतक खातेदार हरजी पुत्र भूरा के वारिसान सजरा प्रमाण पत्र का अवलोकन किये बिना व जांच किये बिना ही अपनी मनमर्जी से अपीलान्ट्स नामान्तरण भरकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत कर दिया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने भी सजरा प्रमाण पत्र का अवलोकन किये बिना व जांच किये बिना ही उक्त विरासत के नामान्तरण को अस्वीकृत कर दिया। इसलिए उक्त अस्वीकृत नामान्तरण आदेश को अपास्त करवाकर मृतक खातेदार का सजरा प्रमाण पत्र में वर्णित उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरण दर्ज करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त आदेश दिनांक–20.02.2020 को पारित किया गया है उसके बाद मार्च 2020 कोविड–19 के विश्वव्यापी बीमारी के कारण लॉकडाउन लग जाने के कारण एवं न्यायालय कार्यालय के कार्य बंद होने के कारण उक्त विरासत अस्वीकृत नामान्तरण की जानकारी अपीलान्ट्स को नही हो सकी तथा लॉकडाउन खुलने के बाद न्यायालय व कार्यालय में कार्य चालु होने के पश्चात् अपीलान्ट्स ने उक्त अस्वीकृत नामान्तरण की जानकारी करने के लिए दिनांक–02.11.2020 को न्यायालय में गये तथा अभिभाषक से संपर्क किया तब अपीलान्ट्स के वकील ने उक्त विरासत के नामान्तरण के बारे में जानकारी करके उक्त अस्वीकृत नामान्तरण की नकल प्राप्त करने हेतु तहसील कार्यालय रुपनगढ में दिनांक–02.11.2020 को आवेदन किया जिसकी नकल दिनांक–03.11.2020 को प्राप्त होने पर उक्त विरासत नामान्तरण अस्वीकृत किये जाने की जानकारी हुई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट्स की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेंट्स के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुये। प्रकरण में रेस्पोडेंट्स [illegible] या। रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम पंचायत नवां द्वारा नामान्तरण [illegible] दिनांक–19.02.2020 को पाक्षिक बैठक दिनांक–20.02.2020 के प्रस्ताव संख्या 9 के [illegible] गई जांच में वारिसों के और अधिक होने की जानकारी मिलने पर ग्राम पंचायत [illegible] यदि प्रार्थी वर्तमान में विधिक वारिसान के आधार पर नामान्तरण स्वीकृत/[illegible] पंचायत नवां को कोई आपत्ति नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम नवां की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2075 से स्थायी के खाता संख्या 138 में खसरा नम्बर 506 रकबा 0.0404 है0 व खसरा नम्बर 507 रकबा 2.4189 है0 में हरजी पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.04.05 16:33:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़, अजमेर।

भूरा (अपीलान्ट्स के पूर्वज) हि01/2 जाति जाट सा0देह खातेदार सहित बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा रूपनगढ़ का नाम दर्ज है एवं इस खाते में मृतक खातेदार हरजी पुत्र भूरा जाति जाट के 1/2 हिस्से पर विरासत का नामान्तरण संख्या 1024 दिनाक–19.02.2020को पटवारी हल्का नवां द्वारा दर्ज करवाया गया था। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में 'मुसद्दिक सजरा, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र अनुसार विरासत का नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जांच एव उचित आदेशार्थ पेश है' टिप्पणी अंकित की है। उक्त नामान्तरण घीसी पुत्री हरजी (अपीलांट संख्या 5), धन्नी पुत्री हरजी (अपीलांट संख्या 3), नोसर पत्नि माधुराम (अपीलांट संख्या 7), मनोहर पुत्री माधुराम (अपीलांट संख्या 9), रामकरण पुत्र हरजी (अपीलांट संख्या 1), रामदेव पुत्र हरजी (अपीलांट संख्या 2), लाली पुत्री हरजी, सुगनी पुत्री हरजी, सुरेश पुत्र माधुराम (अपीलांट संख्या 8), सीता पुत्री माधुराम (अपीलांट संख्या 10) के नाम दर्ज किया गया था जिस पर भू–अभिलेख निरीक्षक थल द्वारा दिनांक–19.02.2020 को जांच की जाकर 'जांच की, अंकन सही है' जांच रिपोर्ट अंकित की गई एव पुन: जांच में पटवारी हल्का से पुनः जांच करवायी तब वारिसों की और जानकारी मिलने व परिवार वालों ने मृत्यु प्रमाण पत्र व सजरा कहने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराने से नामान्तरण खारिज योग्य है जांच भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक–19.02.2020 को अंकित की गई थी। ग्राम पंचायत नवां द्वारा उक्त नामान्तरण संख्या 1024 को निर्णित किया जिसमें जांच पटवारी व गिरदावर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक–20.02.2020 द्वारा नामान्तरण अस्वीकार किया जाता है निर्णय अंकित कर नामान्तरण संख्या 1024 को दिनांक–20.02.2020 को खारिज कर दिया गया था।

हमने पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया एवं बहस सुनी। पत्रावली के अध्ययन, अवलोकन एवं बहस अनुसार अपीलांट्स की अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम नवां के खसरा संख्या 506 व 507 के मृतक खातेदार हरजी पुत्र भूरा जाति जाट के विधिक वारिसान की गहनता से जांच कर विरासत के नामान्तरण की कार्यवाही करे।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.04.05 16:33:15 IST
Reason: SelfAttested